

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मालत

सहायक कलक्टर (SDO)
बायत

मुकाम

बनाम

गुरक सिंह सोहन

लाली कठोर

किस्म मुकदमा

136 H. Court

नं. 15/2020

सन्

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.01.20	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/02/2020 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p>	
04/02/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामील हुकम तामील हुकम। सीमान पीठाधीन माधिकारी डिग्रेड उपाधी के अन्तर्गत होने के तामील इन्तका टोडर कागामी दिनांक 11/02/2020 को पेश हो।</p>	
11/02/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के 5 का नोटिस तामील हुकम जल जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी/वादी - 2 से 4 से तडी किया गया जिसे कोई विपरीत उपाधी ही इन्तका नहीं चांही गई। बाली बहस पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p>	<p>विप्रार्थी को 20/4/20 के दिनांक</p>



18/03/2020

पार्थी व पार्थी संख्या-2 उपस्थित। प्रमाण संख्या-2 द्वारा उपस्थित डॉक्टर पार्थी-पा के लक्षण से वापस पत्र पेश किया गया। तथा बिपार्थी संख्या-1 द्वारा उपस्थित डॉक्टर पार्थीगोपाल द्वारा प्रस्तुत फाईल से लक्षण से सहमती पत्र प्रस्तुत इत फाईल से लक्षण से सहमती जाहिर ही गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इत बाबत बहल पत्रावली दिनांक 08/04/2020 को पेश की।

वि. र. गाल
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

उपस्थित

Dr. G. ...
(नियमित)

08/04/2020

पत्रावली काज पेश हुई। कोविड-2019 के चलने की नही लिखा गया। भीमान पीठासीन अधिकारी द्वारा पार्थी से लक्षण होने से मिशाल इत्यादि डॉक्टर कागजी दिनांक 10/06/2020 को पेश की।

10/06/2020

पार्थी व डील उपस्थित। पार्थी व डील ही उपस्थित बहल हुनी गई पार्थी का फाईल स्वीकार किया जाकर फाईल काला नि लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केमल सुगाह डॉक्टर डर नम्बर से डग ही दाखिल दस्ता है।

वि. र. गाल
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या 15/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लुम्भसिंह पुत्र किशनाराम		1. लाली पत्नी किशनाराम
2. उत्तमचन्द पुत्र किशनाराम		2. खेताराम पुत्र गुमनाराम
3. मुकेश कुमार पुत्र किशनाराम		3. नारणाराम पुत्र गुमनाराम
जातियान्-जाट, निवासीयान्-नरसाली नाडी, तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर		4. थानाराम पुत्र गुमनाराम जातियान्-जाट, निवासीयान्-नरसाली नाडी, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर
		5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बायतु

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थित :- 1. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 10.06.2020

प्रार्थीगण लुम्भसिंह पुत्र किशनाराम वगैरा की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा रिकॉर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा नरसाली नाडी पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1002, 1003, 1004, 1023, 1065/957 रकबा कमशः 00.02, 00.08, 38.15, 38.07, 04.06 बीघा का आया हुआ है जिसमें प्रार्थीगण का नाम लुम्भाराम, उताराम, मूलाराम दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का सही नाम लुम्भसिंह, उत्तमचन्द, मुकेशकुमार है।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण संख्या 5 तहसीलदार बायतु का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। विप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है। विप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 की ओर से कोई इस्तदुआ नहीं चाहे जाने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये हैं।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों व विप्रार्थी संख्या 1 के साक्ष्य शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण का नाम भूलवंश लुम्भसिंह, उत्तमचन्द, मुकेशकुमार के स्थान पर लुम्भाराम, उताराम, मूलाराम दर्ज हो गया। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नरसाली नाडी	17	1002 1003 1004 1023 1065/957	मूलाराम लुम्भाराम उतमाराम पि. किशना	मुकेशकुमार लुम्भसिंह उत्तमचन्द पि. किशना

तहसीलदार, बायतु आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.06.2020

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु